विलायती चीनी आने का रोका रास्ता

नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने घरेलू बाजार में विलायती चीनी के आने का रास्ता रोक दिया है। इसके लिए सरकार ने चीनी आयात शुल्क को 15 से बढ़ाकर 25 फीसद कर दिया है। >> 13

विलायती चीनी के आने का रास्ता रोका

मुश्किल दौर से गुजर रहे उद्योग को मिलेगी राहत

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : मुश्किल दौर से गुजर रहे चीनी उद्योग की बहुप्रतीक्षित मांग को मंजूर करते हुए केंद्र सरकार ने बड़ी राहत की घोषणा की है। देश के घरेलू बाजार में विलायती चीनी के आने का रास्ता रोक दिया है।

इसके लिए सरकार ने चीनी आयात शुल्क को 25 फीसद कर दिया है। अभी तक चीनी पर 15 फीसद आयात शुल्क लग रहा था। इससे चीनी मिलों की स्थिति में सुधार होगा। वहीं, गन्ना किसानों के बकाया भुगतान का रास्ता साफ होगा। अलबत्ता इससे चीनी कीमतों में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (इस्मा) ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इससे घरेलू बाजार में चीनी बाजार में उत्साह दिखेगा। मिलें किसानों के गन्ने का बकाया जल्द से जल्द भुगतान करने में सक्षम हो सकेंगी। वर्तमान में चीनी की अंतरराष्ट्रीय कीमत और रुपया-डॉलर की विनिमय दर को देखते हुए आयात शुल्क में वृद्धि कारगर साबित होगी। दरअसल, चीनी उद्योग ने केंद्र सरकार से चीनी आयात शुल्क को 15 से बढ़ाकर 40 फीसद करने की मांग की थी। उस समय सरकार सैद्धांतिक तौर पर मान भी गई थी, लेकिन चीनी के मूल्य में तेजी का रुख देखते हुए इसे रोक दिया गया था। बाद में इस मसले पर खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने सफाई देते हुए कहा था कि गन्ना किसानों का बकाया भुगतान करने की गारंटी के बाद ही मिलों के पक्ष में इस फैसले पर अमल हो सकेगा।

मिलों की मांग मंजूर

- गन्ना किसानों के बकाया भुगतान की संभावना बढ़ी
- सरकार ने आयात शुल्क 15 से बढ़ाकर किया 25 प्रतिशत

एफआरपी बढ़ाने का सुझाव

नई दिल्ली : कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) ने गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य यानी एफआरपी 10 रुपये बढ़ाने की सिफारिश की है। इससे चीनी वर्ष 2015-16 (अक्टूबर से सितंबर) के लिए गन्ने का एफआरपी 230 रुपये प्रति क्विंटल हो जाएगा। चीनी की 10.5 फीसद से ज्यादा रिकवरी वाले गन्ने के लिए यह मूल्य 243 रुपये प्रति क्विंटल होगा। अक्टूबर से शुरू होने जा रहे अगले चीनी वर्ष के लिए सरकार ने गन्ने का एफआरपी 220 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। एफआरपी वह कीमत है, जिसकी गारंटी गन्ना किसानों को केंद्र सरकार देती है। हालांकि, राज्य सरकारें अपना राज्य समर्थन मूल्य (एसएपी) अलग से तय कर सकती हैं। चीनी मिलें भी एफआरपी से ऊपर की गन्ना कीमत देने के लिए स्वतंत्र हैं।

दैनिक जागरण

23/8/14